उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ का कार्यालय, सरायकेला
(जिला पंचायत शाखा)
(E-mail dproseraikella@gmail.com)

:: अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना ::

आसन्न नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 के निमित निर्वाचन में प्रयोग आने वाले सामग्रियों आदि हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है । इच्छुक निविदादाता निविदा दिनांक 20.3.18 के 2.00 बजे तक उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ का कार्यालय (जिला पंचायत शाखा) में जमा कर सकते है । प्राप्त निविदा को दिनांक 3.00 के ....बजे् उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा । निर्वाचन में प्रयोग आने वाले सामग्री आदि की सूची उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के (जिला पंचायत शाखा) में कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है ।

–:: निविदा की शर्तें ::–

प्रत्येक निविदादाता को दो अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकि बीड एवं वित्तीय बीड संबंधी कागजात समर्पित करना होगा । लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकि बीड तथा वित्तीय बीड अलग–अलग अंकित करना होगा ।

(क) तकनिकी बीड (Technical Bid) :–

1. निविदादाता को अद्यतन आयकर एवं वाणिज्य कर विवरणी का ब्यौरा समर्पित करना होगा ।
2. निविदादाता को निविदा के साथ 20,000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित राशि तकनिकी बीड के साथ संलग्न करना होगा । जो उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पदनाम से देय होगा ।
3. निविदा के साथ CST/TIN/VAT No/Jharkhand Proffesional Tax का प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर एवं ब्रिक्रीकर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. तकनिकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं । अन्य शर्ते पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है
5. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे ।

6. निविदादाता पूर्व में कार्य नहीं करने के आरोप में काली–सूची में नही डाले गये इसका प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र देना होगा । जिलाअन्तर्गत पूर्व में किसी भी निविदा में आरोप है , तो निविदा मान्य नहीं होगी ।

(ख) वित्तीय बीड (**Financial Bid**) :–

1. निविदादाता द्वारा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तम क्वालिटी का सामग्री इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा ।
2. आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सामग्री आपूर्ति निर्धारित स्थल पर करना होगा , जिसके लिए सामग्रियों को लाने या वापस ले जाने हेतू किसी प्रकार का परिवहन देय नहीं होगा ।
3. समय पर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए कानुनी कार्रवाई की जाएगी ।
4. अद्योरत्ताक्षरी को न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक फर्मो के बीच सामग्रियों की आपूर्ति का आदेश देने का अधिकार होगा ।
5. निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रदद् करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
6. निविदा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिले के वेबसाईट www.seraikela.nic.in पर देखा जा सकता है ।
7. निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे ।

09/3/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)

–सह–

उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ